

उत्तराखण्ड

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड शासन

वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली

सप्तम् वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-
बरसूड़ी-भोरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन
भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

ग्राम:-

क्यार्क-बरसूड़ी

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:-

चन्द्रापुरी

तहसील:-

बसुकेदार

जनपद:-

रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:-

0.910 है. वन पंचायत भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु

0.285 है. वन पंचायत भूमि मक डम्पिंग हेतु

0.070 है. क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि मोटर मार्ग
निर्माण हेतु

0.075 है. क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि मक डम्पिंग हेतु

0.540 है. नाप भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु

0.031 है. नाप भूमि मक डम्पिंग हेतु

कुल वन भूमि का क्षेत्रफल:-1.340 है. }

कुल नाप भूमि का क्षेत्रफल:-0.571 है. } = 1.911 है.

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संग्रहित है/नहीं	संग्रहित न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7	संग्रहित है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संग्रहित है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	13-15	संग्रहित है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	16	संग्रहित है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17	संग्रहित है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संग्रहित है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संग्रहित है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	18-19	संग्रहित है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	20	संग्रहित है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	18	संग्रहित है	
11	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	21-28	संग्रहित है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	29	संग्रहित है	
13	प्रस्तावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	30-31	संग्रहित है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	32	संग्रहित है	
15	बार चार्ट।	33	संग्रहित है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	संग्रहित है	
17	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	35-40	संग्रहित है	
18	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का मूल्योँकन/ सारांश।	40-41	संग्रहित है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	42-39	संग्रहित है	
20	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रस्तावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	43	संग्रहित नहीं है	लागू नहीं है वृक्ष प्रस्तावित हो रहे हैं।
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	44	संग्रहित है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	45-46		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	47		
25	राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रस्तावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	48	संग्रहित है	
27	लागत लाभ विशलेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)		संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	49-54	संग्रहित है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं

				है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	55-57	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	58	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	59	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	60-61	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	62	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	63	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
38	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	65	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	67-75	संलग्न है	
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	75	संलग्न है	
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	74	संलग्न है	
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	76-78	संलग्न है	
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है।	लागू नहीं है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	79	संलग्न है	
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	80-81	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	82	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	83	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	84	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	85	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

परियोजना का नाम:- मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
नाप भूमि	0.540 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.031 है0 मक इम्पिंग हेतु = 0.571 है0
वन पंचायत भूमि	0.910 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.285 है0 मक इम्पिंग हेतु = 1.195 है0
वयार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि	0.070 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.075 है0 मक इम्पिंग हेतु = 0.145 है0
योग	1.911 है0

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है-

✓हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

✓हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

✓हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

✓हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

✓हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

✓हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

✓हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभागद्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

✓हाँ/नहीं

13-संमोखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

✓हाँ/नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

✓हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

✓हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

✓हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रक्त

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

✓हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

✓हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। उल्लंघन नहीं हुआ है
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - ☒ हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

युक्ति-अधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
गुप्तकाशी

उप-प्रमाणिक वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रमाणिक वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

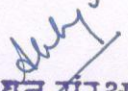
इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०2724/III (2) / 15-05 (मा०मु०घो०) /2015दि० 24-04-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी संपर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्तहुयी है, जिसकी धनराशी रु० 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संमरेश्वण में पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डम्पिंग हेतु	1300	7	0.910 0.285
3	क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डम्पिंग हेतु	100	7	0.070 0.075
	वनभूमि का योग:—	1400	—	1.340
4	नाप भूमि(I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डम्पिंग हेतु	600	9	0.540 0.031
	कुल योग:—	2000	—	1.911

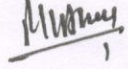
अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|---|----|--|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | रु० 17.84 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 20) के अनुसार |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- | लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | 2158 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 32) के अनुसार |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है। |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | नहीं |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | संलग्न |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न है |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | :- | |

तिथि 01/02/2019

स्थान ऊखीमठ

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)


(ड० मनोज दास)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....	
7. परियोजना/स्कीम का स्थान	:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	:- उत्तराखण्ड
(ii) जिला	:- रुद्रप्रयाग
(iii) वन प्रभाग	:- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में)	:- 1.340 है.
(v) वन की कानूनी स्थिति	:- वन पंचायत भूमि व वयार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि
(Vi) हरियाली का घनत्व	:-
(Vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।	:- सूची संलग्न है।
(vii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
(viii) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:-
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए)	:- नहीं
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	:- नहीं
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:- नहीं
8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है।अतःकोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:- संलग्न
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक	:- संलग्न

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर :- संलग्न
/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक :- संलग्न
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय :-
परिचय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की :- संलग्न
उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- संलग्न
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)
12. प्रभाग /जिला प्रोफाइल :-
(i) जिले का वन क्षेत्र :-
(ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :-
(iii) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :-
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-
(ख) वनेत्तर भूमिपर :-
(अ)तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-
(क) वन भूमि पर :-
(ख) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :-

दिनांक :-
स्थान:-

Koms
वन क्षेत्राधिकारी
गुवाहाटी

Sharma
प्रभागीय वनाधिकारी

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
(हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए
गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।
- (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट
समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

शासनादेश संख्या- 2724/111(2)/15-05(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी0ए0सी० द्वारा अनुमोदित लागत	(घनराशि लाख रु में) हालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुका घनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से स्थिकोट-कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्युंजा गाड़ पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में भण्ज-ग्याड़-मधकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में सन्नापुरी-मुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा-टकराली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में नारायणकोटी-कुठंडा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोट मोटर मार्ग से सोड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क-बरसुडी-भैरों बेंड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जाबरी-पाटिया-मुनासु-मोली-कलई-कोड़ा-चन्दनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर में अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजोटी-ग्वालदलयां अनु. जाति वस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर के विकास खण्ड तमगाड़ा में चौमू से कलसीमा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

शासनादेश संख्या:- 2724/111(2)/15-05(मोमोघो)/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

59	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-442/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत जालधार से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
60	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-450/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत घरेख-धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
61	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
62	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित ग्राम सभा मंगलूवाला में बारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।		1.92	0.10
63	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-800/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नातापानी राव नाते पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	योग:-	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल र छः लाख तीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

P.C. Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र - 6

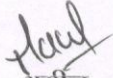
परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 01-02-2023 को वन भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भरत सिंह राणा (अनुभाग अधिकारी), श्री नरेन्द्रपाल, (वन बीट अधिकारी) श्री उदय सिंह रावत (वन क्षेत्राधिकारी), श्री अनूप रावत (वन दरोगा) श्री पूरण सिंह रावत (वन क्षेत्राधिकारी) एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज सजवाण (रा0उ0नि0चन्द्रापुरी) एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री दीपक कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री अदीप राणा (सहायक अभियन्ता) श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार वन पंचायत भूमि कौशलपुर 0.910 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.285 है0 मक डिस्पोजल हेतु व क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि 0.070 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.075 है0 मक डिस्पोजल हेतु और नाप भूमि 0.540 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.031 है0 मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 1.911 है0 भूमि (1.160 है0 वन पंचायत भूमि कौशलपुर + 0.145 है0 क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि + 0.571 है0 नाप भूमि) प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना का निर्माण जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 881 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

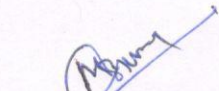
आवेदित 1.340 है0 वनभूमि में 117 वृक्षों का पातन और 0.571 है0 नाप भूमि में 8 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 125 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता

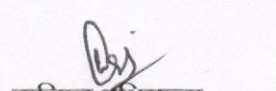
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

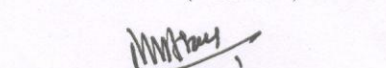

राजस्व उप निरीक्षक

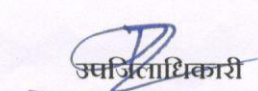

वन क्षेत्राधिकारी

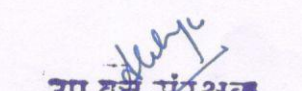

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
जनपद-रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप निरीक्षक
उप निरीक्षक
जनपद-रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्राप्त-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of **1.340 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of **Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.340 ha.g**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place-----

Name-----

Date-----

Designation-----

Office Seal-----

N.B. X State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required

परियोजना का नाम:—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भोरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रूद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम-वयार्क-बरसूड़ी (जमेथी) (कुल आबादी 881) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिये पैदल चलना पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से वयार्क-बरसूड़ी (जमेथी) के स्थानीय जनता का सम्पर्क तहसील मुख्यालय, ब्लॉक तथा विकित्सालय से स्थापित हो जायेगा।

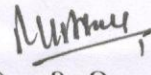
अतः ली गयी 1.340 हे० वनभूमि न्यूनतम है। समीक्षण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन हो।



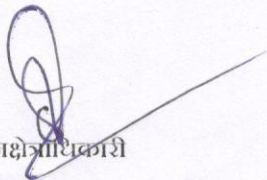
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

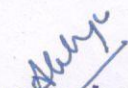


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



वनक्षेत्र अधिकारी

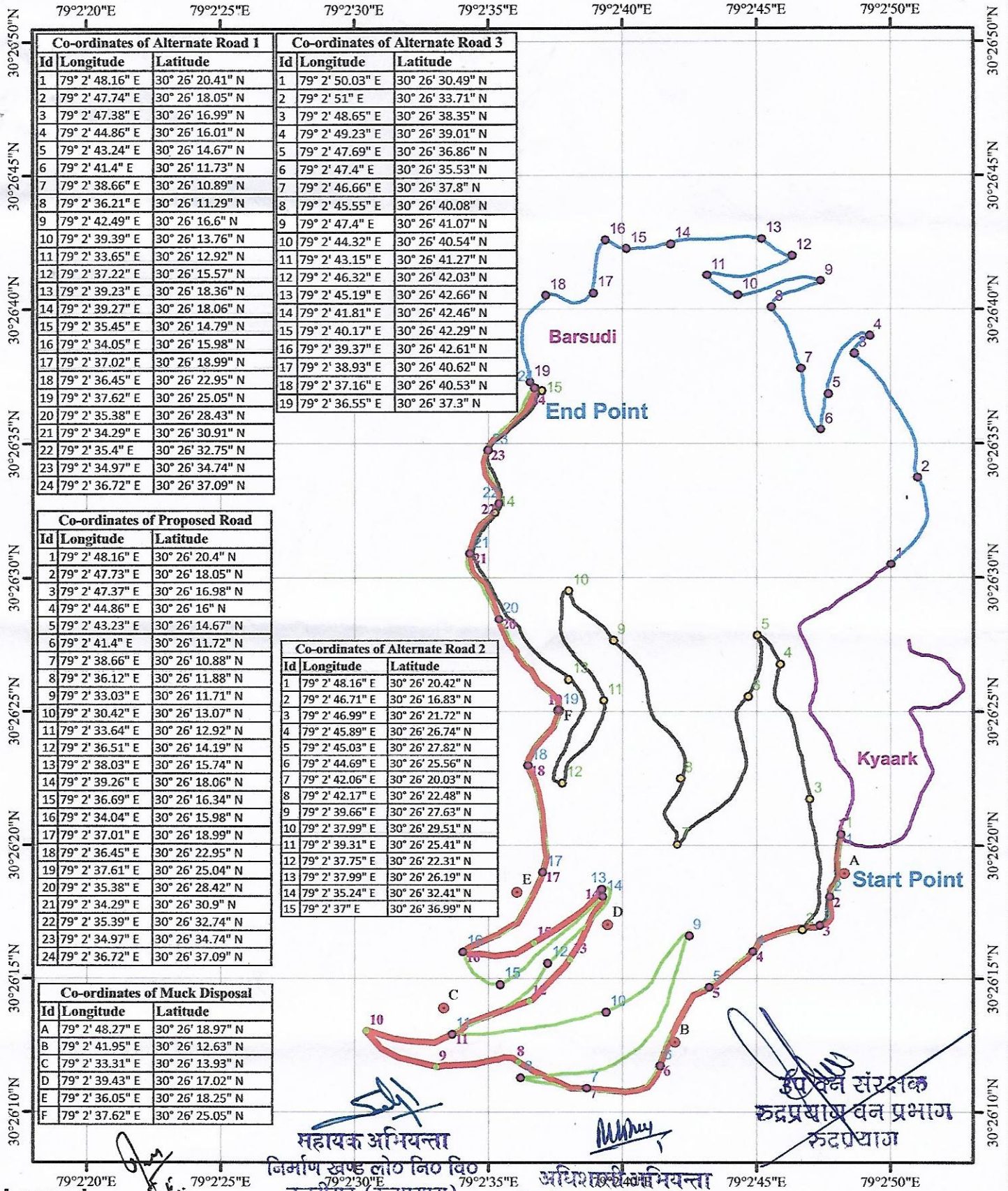
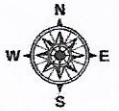
उपप्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

जियोरेफेरेंस मैप:-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत क्याक बरसूडी भेरी बेंड से जामेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (कुल लम्बाई-2.00 कि०मी०)

1:6,000

0 0.04 0.08 0.16 0.24 0.32 km



Legend

- Proposed Road
- Existing Road
- Muck disposal Sites
- GPS Coordinates of Proposed Road
- GPS Coordinates of Alternate Road 1
- GPS Coordinates of Alternate Road 2
- GPS Coordinates of Alternate Road 3
- Alternate Road 1
- Alternate Road 2
- Alternate Road 3

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैप:-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत क्याक बरसूडी भेरो बेंड से जामेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (कुल लम्बाई-2.00 कि०मी०)

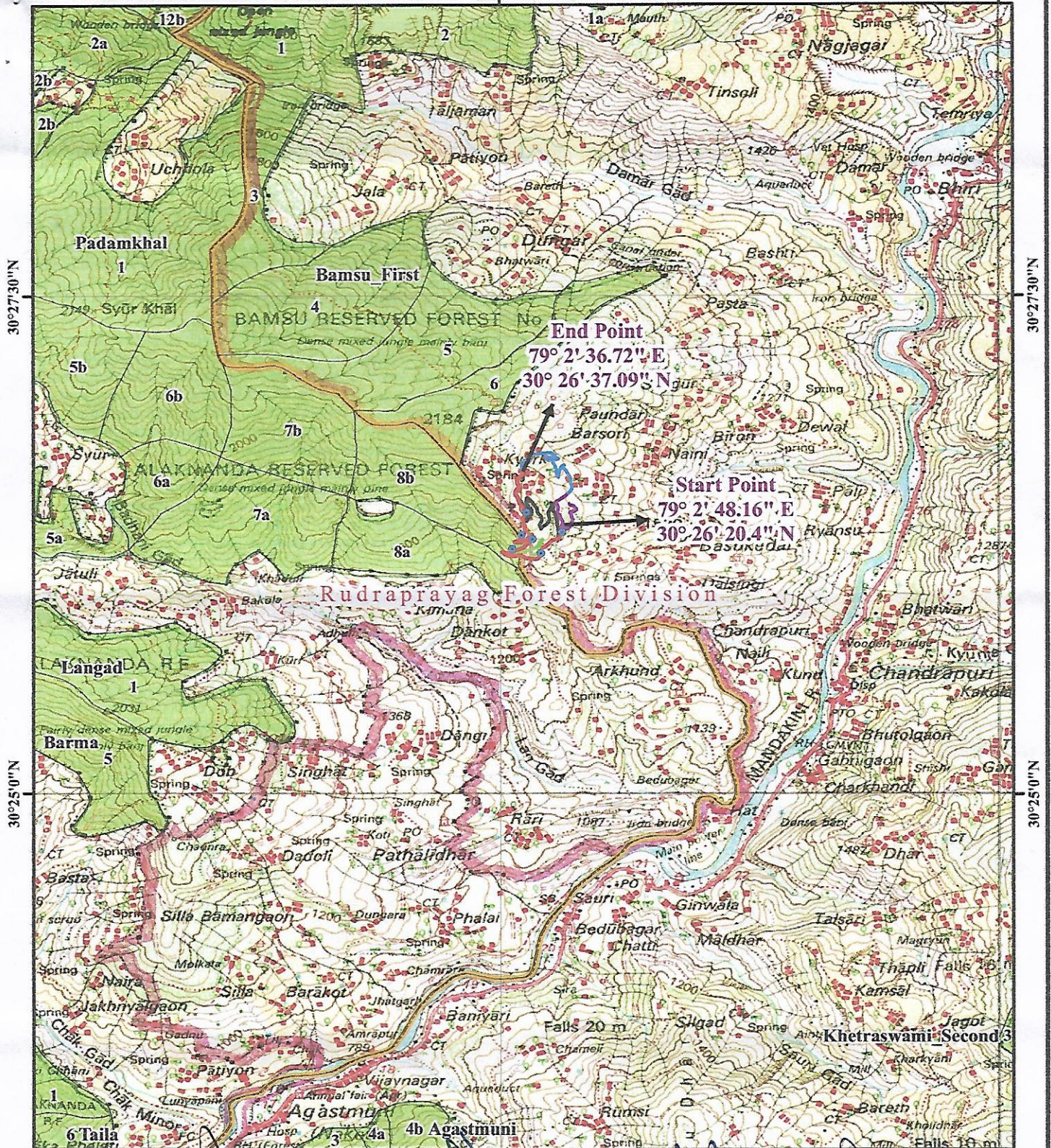
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

79°2'30"E



79°5'0"E



Legend

- | | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------|
| | Reserve Forest Area | | Muck disposal Sites |
| | Reserve Forest Boundary | | Existing Road |
| | Forest Division Boundary | | Proposed Road |
| | Alternate Road 1 | | |
| | Alternate Road 2 | | |
| | Alternate Road 3 | | |

महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप वक सरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

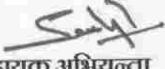
Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम:- मा०मु०धो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

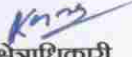
वैकल्पिक संमरेशनों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

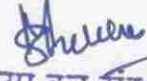

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी
गुप्तकाशी


उप प्रभागीय वनधिकारी
उप प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संरक्षण आख्या

कार्य का नाम:- माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क -बरसूडी -भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)

मार्ग की स्वीकृति:- आसनादेव संख्या ^{2724/111(2)/13-05} ~~553~~ / 2015 (मु.मं.घो.) / 2015 दिनांक 24/06/15

स्वीकृत लम्बाई :- 2.00 किमी.

वास्तविक लम्बाई :- 2.00 किमी.

लागत :- 17.84 लाख।

संरक्षण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क -बरसूडी -भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जो कि 2.00 कि०मी० प्रस्तावित है प्रस्तावित मोटर मार्ग मयाली गूफकाशी मोटर मार्ग एस० एच० -37 के कि०मी० 54 से जुड़े पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग के किमी. 3.00 है.मी. (2-4) से प्रस्तावित है। जिसकी स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी. है, क्यार्क -बरसूडी से जमेथी स्थान स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी में ही जुड़ जा रहा है ग्राम जमेथी क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है ग्राम क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा होगी। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति 2.00 कि.मी. है, व मार्ग का संरक्षण नं. 2 पर सभी स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति नहीं है व इस संरक्षण में ग्रामवासियों के अधिकांशतः कृषि योग्य भूमि पड़ती है जबकि अधिकतर ग्रामवासी कृषि पर आश्रित है व उक्त संरक्षण पर अपेक्षाकृत अधिक एच.पी.बैण्ड पड़ेंगे। वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान तकनीकी दृष्टि से गलत बताया गया व यातायात एवं तकनीकी दृष्टि से भी यह उपयोगी नहीं है। संरक्षण नम्बर 1 जो लाल रंग से कन्टूर प्लान में अंकित है। तकनीकी दृष्टि से एवं किसी भी प्रकार का अन्य व्यवधान न होने के कारण संरक्षण नं. 1 उचित होगा। इस संरक्षण हेतु समस्त ग्रामवासियों का सहमति पत्र कार्यालय को उपलब्ध करवा दिया गया है, व वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा भी यह संरक्षण उपयुक्त माना गया है। प्रस्तावित संरक्षण में लगभग 3 एच.पी.बैण्ड पड़ेंगे।

संरक्षण का विवरण:-

इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरक्षण क्रमशः नं. 1 लाल एवं नं. 2 हरे रंग में दर्शाये गये हैं तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरक्षण (1) ही उचित है।
अतः प्रस्तावित संरक्षण नं. 1 संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

P.C. Attached
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

8.	वनस्पाते	पेड़ पोध	पेड़ पोध
9.	मार्ग का ढाल	4.25 प्रतिशत	5.00 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	0.200 किमी. शून्य	0.800 किमी. 0.200 किमी.

क्रमशः - 2-

- 2-

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	.500 किमी. 1.50किमी.	0.800 किमी. 1.200 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य	2 नं. शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लामाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. क्यार्क-बरसूडी 042255 934 224 जमेथी राजस्थान ग्राम नहीं है.	समरेखण नं. 1 अनुसार -
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह सरंखण जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत क्यार्क -बरसूडी -भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.00 कि०मी० में होना है प्रस्तावित मोटर मार्ग मयाली गूतकाशी मोटर मार्ग एस० एच० -37 के कि०मी० 54 से जुड़े पी० एम० जी० एस० वाइ० के अन्तर्गत क्यार्क -बरसूडी के किमी. 3.00 है.मी. (2-4) से प्रस्तावित है। ग्राम जमेथी क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के	समरेखण नं. 1 अनुसार

23

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह सरैखण जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत क्यार्क -बरसूडी -भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.00 कि०मी० में होना है प्रस्तावित मोटर मार्ग मयाली गूफकाशी मोटर मार्ग एस० एच० -37 के कि०मी० 54 से जुड़े पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत क्यार्क -बरसूडी के किमी. 3.00 है.मी. (2-4) से प्रस्तावित है। ग्राम जमेथी क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है ग्राम क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा होगी। क्यार्क-बरसूडी से जमेथी स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी में जुड़ जाने के कारण उक्त मार्ग का सर्वेक्षण 2.00 किमी लम्बाई में ही किया गया है।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	2.00 किमी.	2.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	0.625 किमी. 0.700 किमी. 0.675 किमी.	0.200 किमी. 1.200 किमी. 0.600 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर, अत्यधिक खड़ी, कठोर चट्टान आदि

निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है ग्राम क्यार्क -बरसूडी मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा होगी। क्यार्क-बरसूडी से जमेथी स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी में जुड़ जा रहा है।

क्रमशः - 3-

- 3 -

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा। 1:40 1:40 1:40	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैण्ड	3 नं. (Xs/Xs/Xs/Xs/Xs)	5 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालों आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. भूमि धंसाव का खतरा। 4. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्गतकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

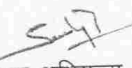
सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण नं. (2) जो कि हरे रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी नहीं है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से ग्राम क्यार्क -जमेथी की जनता असन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 2.000 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कोमल चट्टान, नाप भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

PC Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

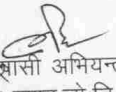
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 22/02/16
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 22/02/2016
3. अधिष्ठासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 22/02/16


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attended

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

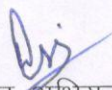
प्रपत्र-9

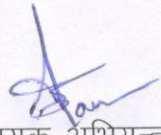
परियोजना का नाम:- मा.मु.घो. संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

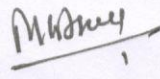
विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण, उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

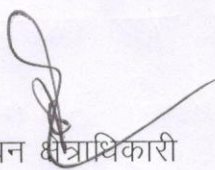
संरेखण नं०	प्रभावित वनभूमि है० में	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी. बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1 (लाल रंग)	1.34	117	2.00	3 एच.पी. बैण्ड, कम वृक्षों का पातन एवं कम वनभूमि प्रभावित हो रही है।
संरेखण-2 (हरे रंग)	1.75	163	2.50	5 एच.पी. बैण्ड, अधिक वृक्षों का पातन एवं अधिक वनभूमि प्रभावित हो रही है।
संरेखण-3 (काले रंग)	1.11	89	1.90	5 एच.पी. बैण्ड एवं ग्रामीण असहमत।
संरेखण-4 (नीले रंग)	1.95	96	1.30	5 एच.पी. बैण्ड, तीव्र ढाल, ग्रामीण असहमत एवं ग्रामीणों के भवनों को खतरा है।

उक्त सभी समरेखणों में से समरेखण नं. 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ


वन क्षेत्राधिकारी


उपवन संरक्षक
उपवन वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

आज दिनांक 24/07/2020 को उपवन संरक्षक के पत्र संख्या 2079/12-1(2) दि० 21/3/2020 के अनुपालन में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अंतर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-भेरो बेंड से जमेथी तक मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें वन विभाग की ओर से श्री धनीराम वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री जोविन्द लाल राजस्व उप निरीक्षक एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री सुमन राना कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति थी। जिसमें पाया गया कि उक्त मोटर के वैकल्पिक संरेखण आरक्षित/पंचायती वनभूमि की लम्बाई 2.50 कि०मी० है तथा उक्त संरेखण में 163 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः आख्या सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


वन दरोगा


रा०उ०नि०
24/7/20


कनिष्ठ अभियन्ता


Subhash Chandra
गुप्तकाशी

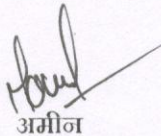
7-1-कमाली-वज्जुपुडी-मंगी-सैण्ड से जमीनी तक के वन निर्माण हेतु 1.340 हे० वन भूमि का लो० वि० वि० अस्तानना प्र
में लगायी गयी सम्पत्तिका आपतियों के निराकरण हेतु मोटर मार्ग अवेक्षण का भी संशुद्ध निर्माण के अन्तर्गत भी

पुष्पपाल २०७१/२०७२ वीट अधिकारी प/२२०८०८ कारी	श्री धनीराम अनुमात्र अधिकारी विजयमोली अनुमात्र	श्री गोविन्द लाल राजमठ उपनिरीक्षक, पञ्चपुरी/पुष्पकोट	श्री सुमन शर्मा P.W.D. उपनिरीक्षक (कमिष्ट अधिकारी) J-E	श्री अनुराज लाल पत्र संपादक राजमठ/राजमठ
--	---	---	---	--

परियोजना का नाम:- मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य वनभूमि एवं पंचायत वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.340 है। पंचायत वनभूमि व क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन

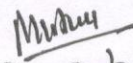
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



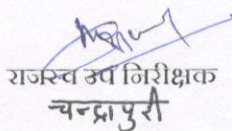
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

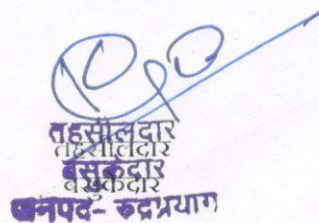


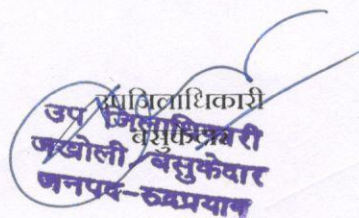
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

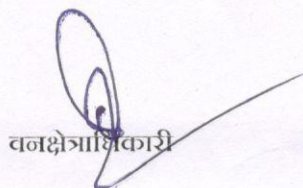


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

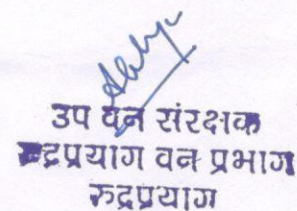

राजेश्वर उप निरीक्षक
चन्द्रपुरी

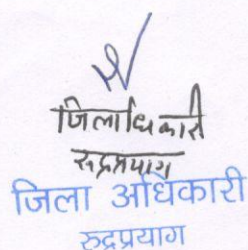

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग


उप निरीक्षक
जखोली/बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

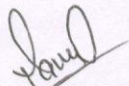

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)
			शून्य		



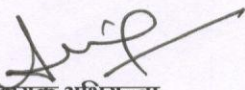
अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



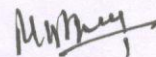
कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रांतीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1
लैंड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भोरों
वैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि०
को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:- श्रेणी 3(3) (ख) चिड़ जंगल (वन पंचायत कौशालपुर)

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	पंचायत वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	1423	6.380	1300	7	0.910 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.285 मक डम्पिंग हेतु = 1.195


अमीन

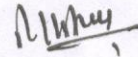
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



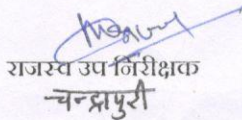
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



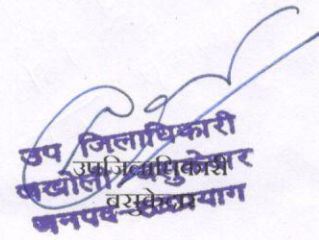
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

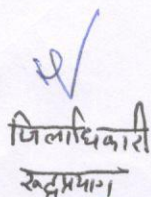


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रपुरी


तहसीलदार
बसुकेदार
वनपद- रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
उप निरीक्षक
वनपद- रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

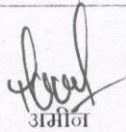
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1
लैंड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:- खेती 3(ख) कृषि बग (सिविल वन क्यार्क बरसूड़ी)

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
1. रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	2005	1.301 है०	75	7	0.0525 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.075 मकड़िपगं हेतु = 0.1275
2. रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	1571	1.300 है०	25	7	0.0175 मीटर मार्ग निर्माण हेतु
							कुल = 0.145 है०


अमीन

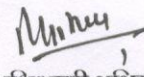
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



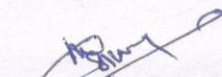
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



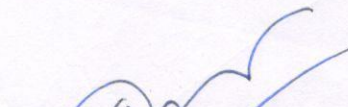
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजेश उप निरीक्षक
चन्द्रपुरी


तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
जनपद- रुद्रप्रयाग

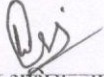

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

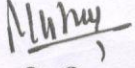
परियोजना का नाम:—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

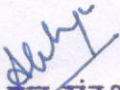
परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	1300	7	0.910 0.285
3	वयार्क -बरसूड़ी सिविल वन भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	100	7	0.070 0.075
	वनभूमि का योग:—	1400	-	1.340
4	नाप भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	600	9	0.540 0.031
	कुल योग:—	2000	—	1.911


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

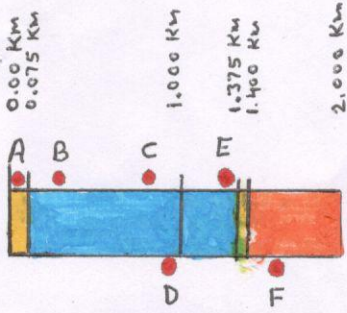

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वन्यार्क बरसूड़ी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
वन पंचायत भूमि		0.910 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.285 मक डिस्पोजल हेतु= 1.195
सिविल वन भूमि		0.070 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.075 मक डिस्पोजल हेतु= 0.145
बाप भूमि		0.540 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.031 मक डिस्पोजल हेतु= 0.571
कुल		=1.911 है०
मक पॉइंट		A, B, C, D, E, व F

अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व एवं निरीक्षक
चन्द्रपुरी

वनक्षेत्र अधिकारी

राजस्व एवं निरीक्षक
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपप्रभागीय वनधिकारी
जखोली/बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

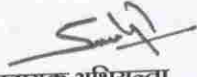
प्रपत्र-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्याक-बरसूड़ी-भरौं वैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

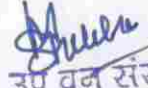

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
भूमि अधिकारी
गुप्तवासी युनिट
गुप्तवासी


उप प्रभागीय वनधिकारी
उप प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भोरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 01-02-2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पंचायती वनभूमि व सिविल वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी:-

सिविल वनभूमि एवं वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	वयार्क-बरसूड़ी सिविल वन	चीड़	-	-	-	-	-	-	-	01	01	01	03
2	वन पंचायत कौशलपुर	चीड़	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110
3	मक डम्पिंग (वन पंचायत कौशलपुर)	चीड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	04
	योग:-		06	04	11	15	20	14	11	12	05	19	117

वनक्षेत्र अधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

रा०००० नि०
-वन्त्रापुर

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उप/जिलाधिकारी
जखौली/बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19।

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 01-02-2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नापभूमिमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी:-

नापभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नापभूमि वयार्क (जमेथी)	चीड़	01	-	01	-	01	-	-	01	-	-	04
		खड़ीक	01	02	01	-	01	-	-	-	-	-	04
2	मक डम्पिंग		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-		01	02	02	-	02	-	-	01	-	-	08

संरक्षक उप निरीक्षक
चन्दापुरी

पट्टसीलदार
बसुकेदार
नपद- रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
जखोली बसुकेदार
नपद- रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल वन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	01	01	03
3	वन पंचायत	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110
	योग	06	04	11	15	20	14	11	12	05	15	113
4	नाप भूमि	01	02	02	-	02	-	-	01	-	-	08
5	मक डम्पिंग वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	04
	कुल योग	07	06	13	15	22	14	11	13	05	19	125

वनक्षेत्र अधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग

प्रहरीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
जखोली/बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

स्वादि वरुदा ओरै पौड से गुमेवा एक मोरमागि निर्मो देव वरुगि की गणना पिय

प्रकार	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	श्री
1. -रफ्त बौधायन नरक	1	1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111	1111 1111	110
2. -रफ्त (बगल, बिबि)	06	04	11	15	20	14	11	11	4	14	110
3. -रफ्त नरक बौधायन नरक	-	-	-	-	-	-	-	01	01	01	03
4. -रफ्त नरक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1111	04
5. -रफ्त नरक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64
6. -रफ्त नरक	06	04	11	15	20	14	11	12	05	19	117

11/2/91

۱۰

गोविन्द पाणि

नज दीट अधिकादी

2847187

(1) वार्धमाणा ^{१)}की वाल्या कडे मार्ग — ॥० पुश्ता

अभिषेक अभिषेक
वि. वि. वि. वि. वि. वि.

326276

(2) अन्तर्गत वर्ग में ०३ +

(3) महाराष्ट्र कोशाल — ०५-११

2017-117

20m19
32m19
2013/2015

प्रेम का नाम - श्रीशालपुर का प्रचार - (सकस विंग रत्न)

उत्पलकाक्षी भूमि (हृदयदायक जन्मदायक हृदयदायक)

राज्य का नाम - वीक्षानपुर बन वंशाधर - (भक्तसर्वज्ञ देवता)

वर्ग व्यास सेो भी०

[illegible]

Q) चरित्र - 90 over बोलियात - 04 घंटा

215 - 04 221

(राजाचा उपासक)
 चन्द्रापुरी मलुकेदार
 मलुकेदार
 श्री ७५५५५५५५


 12/12/2022
~~11/11/11~~
 (गौरीदास)
 गौरीदास
 गौरीदास
 गौरीदास


 (लतापुत्र कॉमिन्स)
 को. वि. वि.
 32/10

(दीपक बुझाए)
कनिष्ठ आभिषदा
नोच निच विठ जाबीन्ह

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:- मा.मु.घो. संख्या 553 / 2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

क्र.सं.	ब्लॉक / ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से.मी. में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्यार्क सिविल वन	बीड़	Pinus Roxburgii	1	70-80	28513.76	28513.76	
				1	80-90	36460.24	36460.24	
				1	90 से अधिक	40113.20	40113.20	
				6	0-10	137.36	824.16	
				4	10-20	367.20	1468.80	
				11	20-30	916.64	10083.04	
				15	30-40	3560.48	53407.20	
				20	40-50	7747.92	154958.40	
				14	50-60	13088.64	183240.96	
				11	60-70	20171.52	221886.72	
2	वन पंचायत कौशलपुर	बीड़	Pinus Roxburgii	11	70-80	28513.76	313651.36	
				4	80-90	36460.24	145840.96	
				14	90 से अधिक	40113.20	561584.80	
3	मक डमिंग वन पंचायत कौशलपुर			4	90 से अधिक	40113.20	160452.80	
				1	0-10	137.36	137.36	
				1	20-30	916.64	916.64	
				1	40-50	7747.92	7747.92	
				1	70-80	28513.76	28513.76	
				2	10-20	122.40	244.80	
				1	20-30	244.80	244.80	
4	नापभूमि क्यार्क (जमेथी)	खड़ीक	Andromeda	1	40-50	962.88	962.88	
				125			1951254.56	

योग:-

नवीन पाल
वन बीट अधिकारी
राजि. का लो. नि. वि.
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

युजिस्ट अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

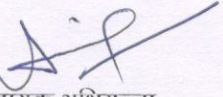
प्रपत्र - 21

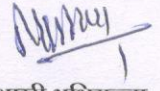
परियोजना का नाम:- मा० मु० घ० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

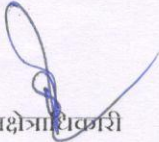
परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 125 वृक्षों का पातन किया जाना है।

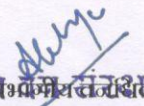

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सेवा में श्रीमान प्रमोद आरिफादी जयपुर

विषय - मानवीय संसाधनों की वृद्धि हेतु 553/2015 के अन्तर्गत ग्रुप कास्टा के विद्यार्थी को भर्ती करने के आदेश पर

02/07/2015 - भर्ती के लिए जिनकी लंबाई कम से कम 5' 6" होनी चाहिए, वजन कम से कम 50 kg होना चाहिए और 15-7-017 नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90+	कुल
प्रीड				1			1				2
प्रीड		1	2	1							3
प्रीड	1		1	1				1			4
प्रीड		6	8	13	13	8	45	41		1	55
प्रीड		2	1		1						4
कुल	1	9	12	13	16	8	6	2		1	68

(विद्यार्थी नौटिकल)
अमीन
निम्नलिखित विद्यार्थी
अधीनस्थ

श्री अरुण प्रकाश मल्लोड़ी
(श्री विद्यार्थी) का आधिकारिक
श्री अरुण प्रकाश मल्लोड़ी
अधीनस्थ

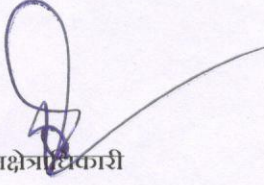
(श्री विद्यार्थी)
श्री अरुण प्रकाश मल्लोड़ी
अधीनस्थ

(श्री विद्यार्थी)
श्री अरुण प्रकाश मल्लोड़ी
अधीनस्थ

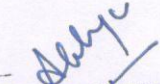
परियोजना का नाम:- मा० मु० घ० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों
बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का
लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल
मूल्य रु० 1951254.56 आंकलित किया जाता है।


वनक्षेत्र अधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
	←					शून्य					→	

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

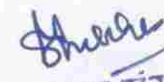

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
यूनिट अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

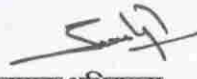
प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिश्लेषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
प्लानिग अधिकारी
वन विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 0.90 Km. कि०मी० है।
(नोटिफिकेशन) 10/6

K. S. S.
वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
गु०-११ यूनिट
मुक्तप्रायग

Q
उप प्रभागध्यक्ष वन्याधिकारी
उपप्रभागीय वन्याधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Shree
उप प्रभागध्यक्ष वन्याधिकारी
प्रभागीय वन्याधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

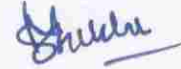
परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत बरसूड़ी-
भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का
लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभयारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित
वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभयारण का हिस्सा नहीं है।


वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
गुप्तगंजी यूनिट
गुप्तगंजी


उप-प्रभागीय वनधिकारी
उप-प्रभागीय वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

से।

— श्रीमान (आध्यात्मिक) आभियन्ता महोदय
लो० नि० विभाग (रुद्र प्रभाग) ऊखीमठ, हनुमानगढ़

विषय:- व्यापक-करसूची में जमीनी में सड़क के सम्बन्ध में

महोदय नमः निवेदन है कि ग्राम व्यापक करसूची में जमीनी व फल
सड़क स्वीकृत हुई है जिसमें खेत कटे में जमीनी एवं व्यापक
के किसी भी महिला एवं पुरुष को खबर नहीं है। सड़क से
जोपरा नाम लोक में जासलेली होत (हट जमीनी तक सड़क की निर्माण
कार्य की कृपा करेंगे।
अस्तु महोदय से नमः निवेदन है सड़क की सर्वे कर
निर्माण कार्य करवाने की कृपा करेंगे।

प्राथमिक (समस्त जमीनी एवं व्यापक)
की जमीनी

तखरसिंह
पालसिंह
जनसिंह
शाहि
जगदीश
मोहिं
लख सिंह
वांग सिंह
रुद्र सिंह
कमल सिंह
य सिंह

गमोती देवी
लौगा देवी
रैजा देवी
जैका देवी
सुन्दरी देवी
मूलदेई देवी
श्रीमा देवी
राजेश्वरी देवी
वास्तुरा देवी
सुसीला देवी
सरस्वती देवी
मीना देवी
गुप्ता देवी
शान्ति देवी
कल्याण
दशना देवी
मिन्ना देवी
मूलदेई देवी

गीता देवी
राजेश्वरी देवी
चम्पा देवी
सुमन देवी
सुमिता देवी
मीना देवी
गारती देवी
ममता देवी
नीता देवी
दशमी देवी
सरला देवी
मंजरी देवी
शरदा देवी
शाखी देवी
राजेश्वरी देवी
शाख देवी
पूजा देवी
सलोचना देवी

पुदीप्रीति
Balthi Singh
माता देवी
जगन्मयी
नारायणसिंह
वज्रनाथसिंह
सुलोचना देवी
जालिता देवी
रति प्रवरी
सुमिली

P.C. AME 8400
5/11

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोक वि० वि०
ऊखीमठ (हनुमानगढ़)

গত (২১) ৬ (১০)

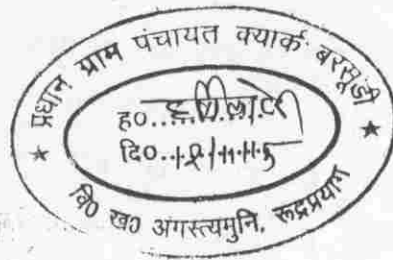
Rajesh

SAPR - 5.12

घनश्यामशर्मा

6-1-1

कुवटसिंह



हुमा रो

संगीत हवी

सुमिला देवी

राजेश्वरी देवी

वाल्मीकी देवी

रानी देवी

देवीरानी देवी

अबका द्रव

उषा देवी

सुधा देवी

दीपा देवी

गौ दामि देवी

०॥॥॥ देवी

दरानि

पान्दिय देव

सावित्री

सुदामा देवी

Deepti Singh

सर्वो जेद्वी

राय ५० २७

5/2/17/5/3

उत्तराखण्ड

Rg ✓ XG 2x

31/11/20

२ दुपल डिङका

द्वितीयः

5th July 1958

एन. वि.

भवानीदास

१२२ रा राह

104 W.P. 15

निष्कर्ष

केदारनाथ

P.C. Attestod

[Signature]

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.340** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Kyark-Barsudi(Jamethi)** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.340** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

EucI: As above.

Signature



District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mangesh Ghildiyal District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 17/06/19 at time 1.30 pm in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.340 hectare for the construction of Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है. पंचायती वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11-9/98-एफ.सी., दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ.एफ.सी., केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - क्यार्क बरसूड़ी

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.840 है व पंचायती वनभूमि 0.500 है अर्थात् कुल 1.340 है। आरक्षित व पंचायती वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17 / 0 / 2019 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित पंचायती वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यार्क - बरसूड़ी के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Iskander
सरपंच
(प्रेमपाल चौधरी)



प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 17/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम- कपिल - बरसूड़ी

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	राजेश सिंह चौहान	Rajesh Singh
2	दुधाल सिंह चौहान	Dudhal Singh
3	विजय सिंह चौहान	Vijay Singh
4	किसन सिंह दावल	Kishan Singh
5	दशरथ सिंह दावल	Dashrath Singh
6	पाल सिंह बिहारी	Pal Singh
7	जगदीश सिंह चौहान	Jagdish Singh
8	विदेन्द्र सिंह बिहारी	Videन्द्र Singh
9	धीर सिंह चौहान	Dhir Singh
10	नारायण सिंह चौहान	Narayan Singh

समपंच
(प्रमपाल चौहान)



परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी बसुकेदार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बसुकेदार

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.840 है व पंचायती वनभूमि 0.500 है अर्थात् कुल 1.340 है आरक्षित व पंचायती वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- बसुकेदार) की दिनांक 30-01-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवसुर्ति यादव उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री देवसुर्ति यादव उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री मणिपाल सिंह सहायक उपप्रभागीय वनधिकारी सदस्य
- 3- श्री रामचन्द्र प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री श्री सिंह गहमारी वी०डी०सी० क्षेत्र विकास अधिकारी बसुकेदार सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

वी०डी०सी० सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वन विभाग
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - बसुकेदार, जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - बसुकेदार, जनपद - रुद्रप्रयाग

55

Geological Assessment of the 2.00 Km long Alignment Corridor Proposed for the Construction of Kyark - Barsudi - Bhairon Bend to Jamethi motor road, Distt. Rudraprayag

Vijay Dangwal

30.07.2016

1-Introduction :- The Construction Division, Public Works Department Ukhimath, vide G.O. No. 553/2015 (C. M's Notification) has been entrusted for the construction of 2.00 km long motor road namely Kyark- barsudi - Bhairon Bend to Jamethi motor road in Agastyamuni Block, Kedarnath Constituency, Distt. Rudraprayag. On the request made by Shri Manoj Das, Executive Engineer I carried out the geological assessment of the alignment corridor proposed for the construction of this road on 27.07.2016. Shri Sandeep Samwal, Asst. Engineer and Shri Arun Prakash, Jr. Engineer accompanied the site visits.

2-Location :- The proposed alignment of the above said motor road originates from the Km 54 Of Jakholi- Guptakashi State Highway No. 37 located in Agastyamuni Block, Kedarnath Constituency, Distt. Rudraprayag.

3-Geological Assessment:- Geologically the 2.00 km long alignment corridor proposed for the construction of the above said motor road lies in a part of Inner Lands of Garhwal Lesser Himalaya. The terrain containing this alignment corridor and its surrounding areas, cross slopes are characterized by steeply inclined, rugged and dissected hills slopes. This area is bounded by the Main Boundary Thrust (MBT) in the south and Main Central Thrust (MCT) to the north. The area containing this alignment is sandwiched between the MCT and the Srinagar Thrust (ST) which is another prominent tectonic lineament in this region of North -West Himalaya. Augen gneisses, schists and Quartzites belonging to Ramgarh Group are exposed in this area which are largely compact and hard in nature and have been dissected by many linear discontinuities. The quartzites exposed along the alignment are massive, hard and compact in nature and have attained weathering up to 1st Grade. The cross slopes of this alignment are inclined at moderate to steep angle and directly forms the up slopes of State Highway No. 37. Part of this alignment passes across the steep slopes and partly it passes on the slopes formed of soils comprising boulders.

mixed with soils of sandy silty matrix. This overburden material is naturally dense, hard and compact in nature and it do not contain any soft /dispersive soils. The construction of this road involves the safety of State Highway If excavated unscientifically, therefore It is recommended to excavate this road by safe excavation means and for this a separate provision of excavation and dumping of excavated waste shall be incorporated in the DPR.

By and large the alignment slopes are stable and free from any mass wasting activities.

Nowhere, signatures of ground subsidence, presence of pot/sink holes were encountered during the site visit.

In the case of road construction along this alignment adequate arrangements as discussed above shall be made to safeguard the State Highway.

On the basis of the study carried at the site and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road falling to these this report will be treated as cancel automatically.

4-Recommendations:-

- Form the road by half cut and half fill method and compact the fill material by dynamic compaction.
- In any case do not dispose the excavated waste directly on the lower slopes otherwise it will threat the stability of SH-37. It is advised to dispose the waste on the suitably pre-identified dump yards.
- Construct suitably designed retaining and breast walls all along the road in order to strengthen the road and protect the hill slope.
- Make sufficient drainage arrangements all along the road and ensure to develop a network for safe disposal of surface run off i.e. cascading gablon channels or any other engineered structure.
- Make a provision to seal the entire surface of the road. Ede to edge sealing will check the water infiltration into the subsurface material and help retaining the soil properties intact especially in the rains.

-3-

- All the construction activities shall be carried out in the line of Standard Codes of Practice and the guide lines issued by MoRTH.

5-Conclusion:- On the basis of the geological/ geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations the proposed 2.00 km long alignment corridor was found suitable for the construction of Kyark- Barsudi-Bhairon Bend to Jamethi motor road, In Agastyamuni Block, Kedarnath Constituency, Distt. Rudraprayag

V. Dangwal

30/01/2016

Vijay Dangwal

Sr. Geologist

Office of the Engineer in Chief

PWD, Dehradun

P.C. Attached

S. H.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
उखीमठ (रुद्रप्रयाग)

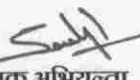
प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- मा०मु०धो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्याक-बरसूड़ी-भेरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii)(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


 कनिष्ठ अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:- मा०मु०घ० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनाये रख-खाव किया जायेगा
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेयण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतराखाण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पायेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पायेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशेखी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

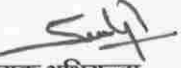
प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग


प्रपत्र-

परियोजना का नाम:- मा०मु०धो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रशंगत प्रयोजन हेतु 1.340 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्यरू० 9.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रू० 12.06 लाख होता है।

राजस्व अधीनरीक्षक
चन्द्रपुरी

वदनीलदार
बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
जखोली/बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

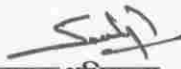
प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा । जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

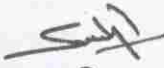
परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	वयार्क बरसूड़ी (जमेथी)	881	230


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 553/2015 के अंतर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस0 एस0 पी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र क्यार्क बरसूडी सिविल सोयम

क्षे0 2.690 (है0 में)

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल

2.690

है0

वर्ष 2018-19

क्र.	रोपित प्रजातियां	संख्या
1	सीरस	2000
2	कचनार	2000
3	भीमल	1380
योग		5380
रोपित कुल पौध		5380

प्रथम चरण

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	2.6900	है0	115.00	309.35
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	2.6900	है0	3730.00	10033.70
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	2.6900	है0	38637.00	103933.53
4	गड्ढो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	5380	प्र0म0	7.95	42771.00
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है0 100र0मी0 लम्बी व 0.60मी0 चौड़ी)	161.400	वर्ग मी0	18.00	2905.20
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	5380	प्र0 सं0	6.20	33356.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	2.6900	है0	915.00	2461.35
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	2.6900	है0	9150.00	24613.50

प्रथम चरण का योग

220383.63

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	5380	सं0	1.42	7639.60
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5380	सं0	1.80	9684.00
3	पौध डुलान कार्य	5380	सं0	9.00	48420.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	5380	सं0	2.77	14902.60
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	5380	सं0	1.89	10168.20
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	5380	सं0	1.63	8769.40

7	खाद व दवा पर व्यय	2.6900	है०	1200.00	3228.00
8	प्रथम वर्ष में बृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1)	2.6900	प्र० है० / माह	685 प्रतिमाह / प्रति है०	22111.80
9	8.1 बृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/काला बांसा)	2.6900	है०	1887.00/Heac	5076.03
	8.2 बृक्षारोपण से लाभाविप्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हैतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हैतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.690		L.S	1396.11
कुल योग द्वितीय चरण					131395.74
तृतीय चरण					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
	2.1 बृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.6900	है०	1887.00	5076.03
2	2.3 बृक्षारोपण से लाभाविप्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हैतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हैतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.690		L.S	4842.00
	ब- प्रोत्साहन	2.690		L.S	2690.00
3	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	538	स० / पौध	8.00	4304.00
	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण करना	538	स० / पौध	4.40	2367.20
	पौधों का दुलान कार्य करना	538	स० / पौध	9.00	4842.00
	गडढों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित	538	स० / पौध	1.95	1049.10
	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	538	स० / पौध	1.63	876.94
तृतीय चरण का योग					48159.07
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
चतुर्थ चरण का योग :-					23322.30
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
पंचम चरण का योग :-					23322.30
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
छठवें चरण का योग :-					23322.30
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
सातवें चरण का योग :-					23322.30
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
आठवें चरण का योग :-					23322.30
नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
नववें चरण का योग :-					23322.30

दशम चरण					
1	सोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.6900	है०	685.00	22111.80
2	अन्य कार्य (अग्नि संभन्धी सुरक्षा कार्य)	2.6900	है०	450.00	1210.50
दशवें चरण का योग :-					23322.30
5-कुल व्यय सारास प्रति है० व कुल व्यय					
क०	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय			
1	प्रथम वर्ष	220383.63			
2	द्वितीय वर्ष	131395.74			
3	तृतीय वर्ष	48159.07			
4	चतुर्थ वर्ष	23322.30			
5	पंचम वर्ष	23322.30			
6	छठवें वर्ष	23322.30			
7	सातवां वर्ष	23322.30			
8	आठवां वर्ष	23322.30			
9	नवम् वर्ष	23322.30			
10	दशम वर्ष	23322.30			
कुल व्यय रुपये					563194.54
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-क 972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु देय दर/ 278665.00 रु०/है०		2.690	Ha.	749608.85	

यूनिट अधिकारी
गुप्तकारी यूनिट
गुप्तकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल सिविल वयार्क-बरसूड़ी वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
मु०काशी यूनिट
मु०काशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

खसरा नकल- ग्राम वाही

पञ्च - २५३१ तहसील - वहोडा

जनपद-रुद्रप्रयाग ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1362	1.101	41	30 20 114 - 2118															2118	1.101	
1416	0.624	41	—															2118	0.624	
1571	1.300	41	—															2118	1.300	
મુજબિયત રાખીં આપના જે નેલાં જીભ																				
2102 41618																				



श्री गंगा नदी

सम समान

श्री

	सम समान
	सम समान
	सम समान
	सम समान

सम समान



सम समान

1821/1 फाटी हट्टे शीत लव व अडी 10000 रु. - लक्ष्मी ल. कुमारी वसु.ने

लक्ष्मी

32" = 1 मीटर

संख्या 9
भूखेत्र
ग्राम क्यार्क वरसुडी
शीट नं. 2
पट्टी कारनिपार
परगना नागपुर
तहसील चमोली

कि.मी.

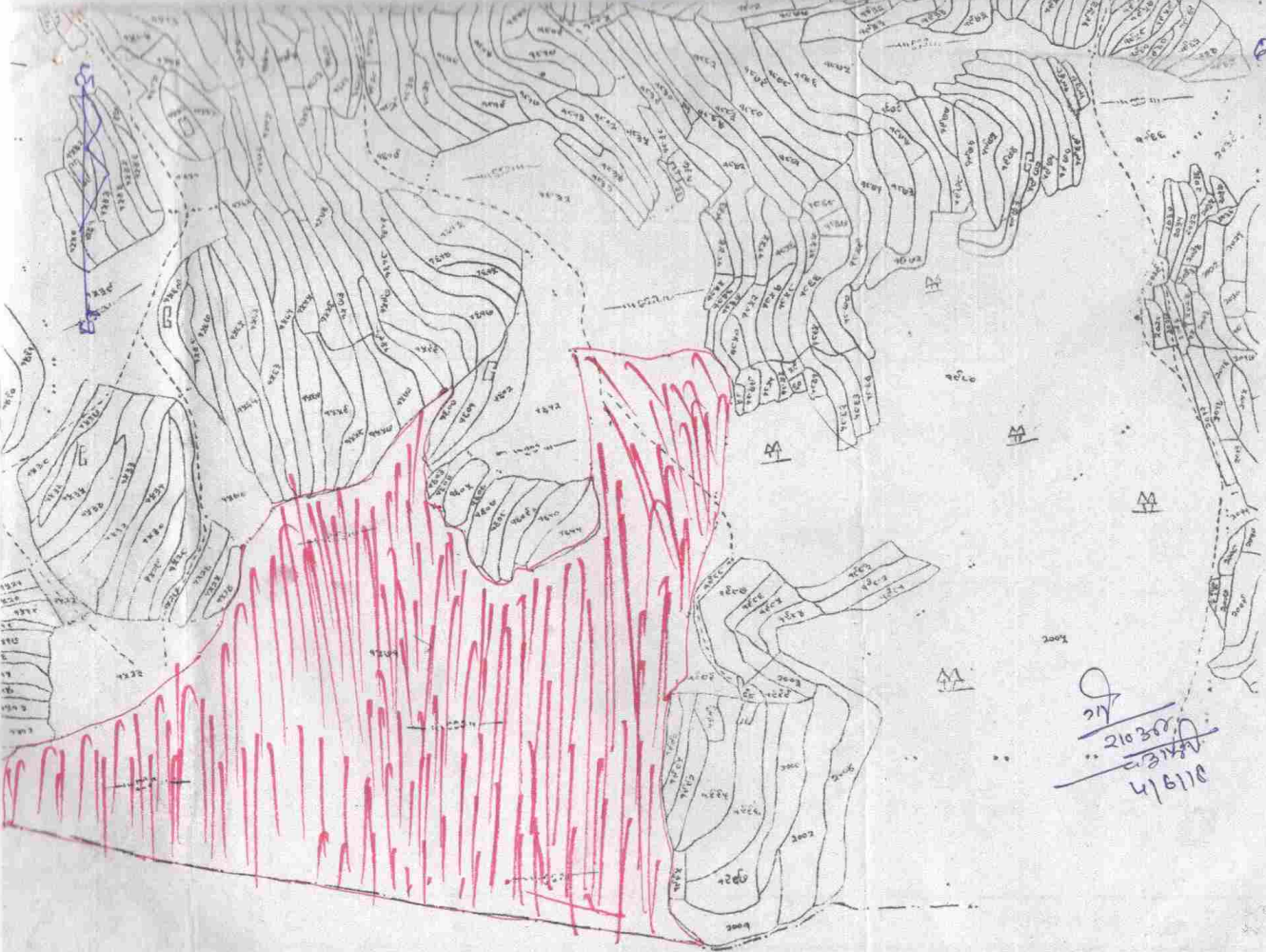
विचारना

मालगा

मालगा	मालगा
मालगा	मालगा
मालगा	मालगा
मालगा	मालगा



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a non-Latin script.



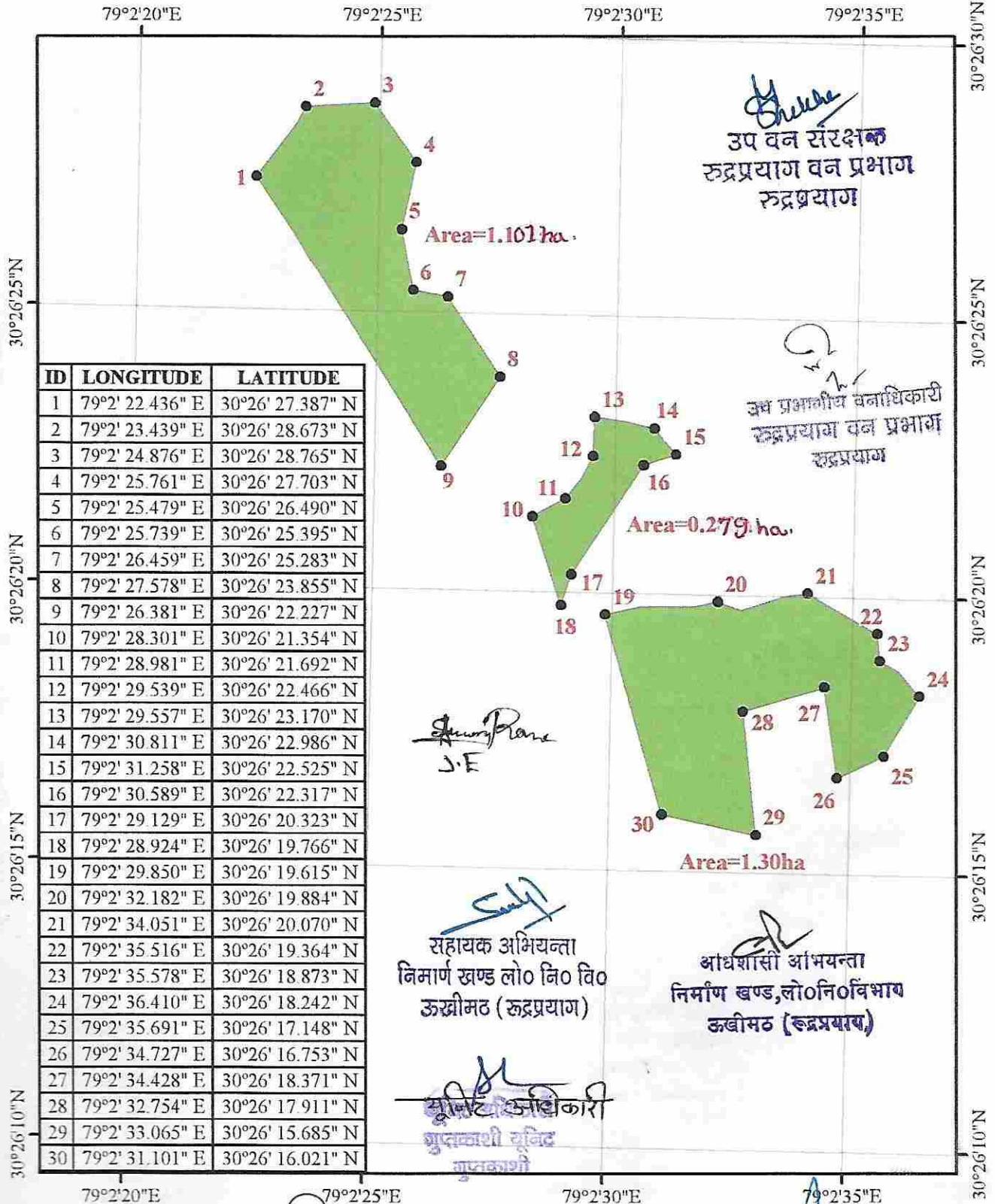
Handwritten text in a non-Latin script, possibly a title or header, located on the right side of the page.

Legend	
	1/4 acre
	Water body
	Boundary
	Path

Handwritten text in a non-Latin script, possibly a signature or date, located at the bottom right of the page.

जियो रेफरेंस मैप :- राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग में कर्याक-बरसूड़ी-भैरों बैण्ड से जमेथी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कर्याक बरसूड़ी सिविल सोयम क्षेत्र 2.690 है०

0 25 50 100 M Scale- 1:3,000



Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

राज्य योजना

जनपद-रुद्रप्रयाग

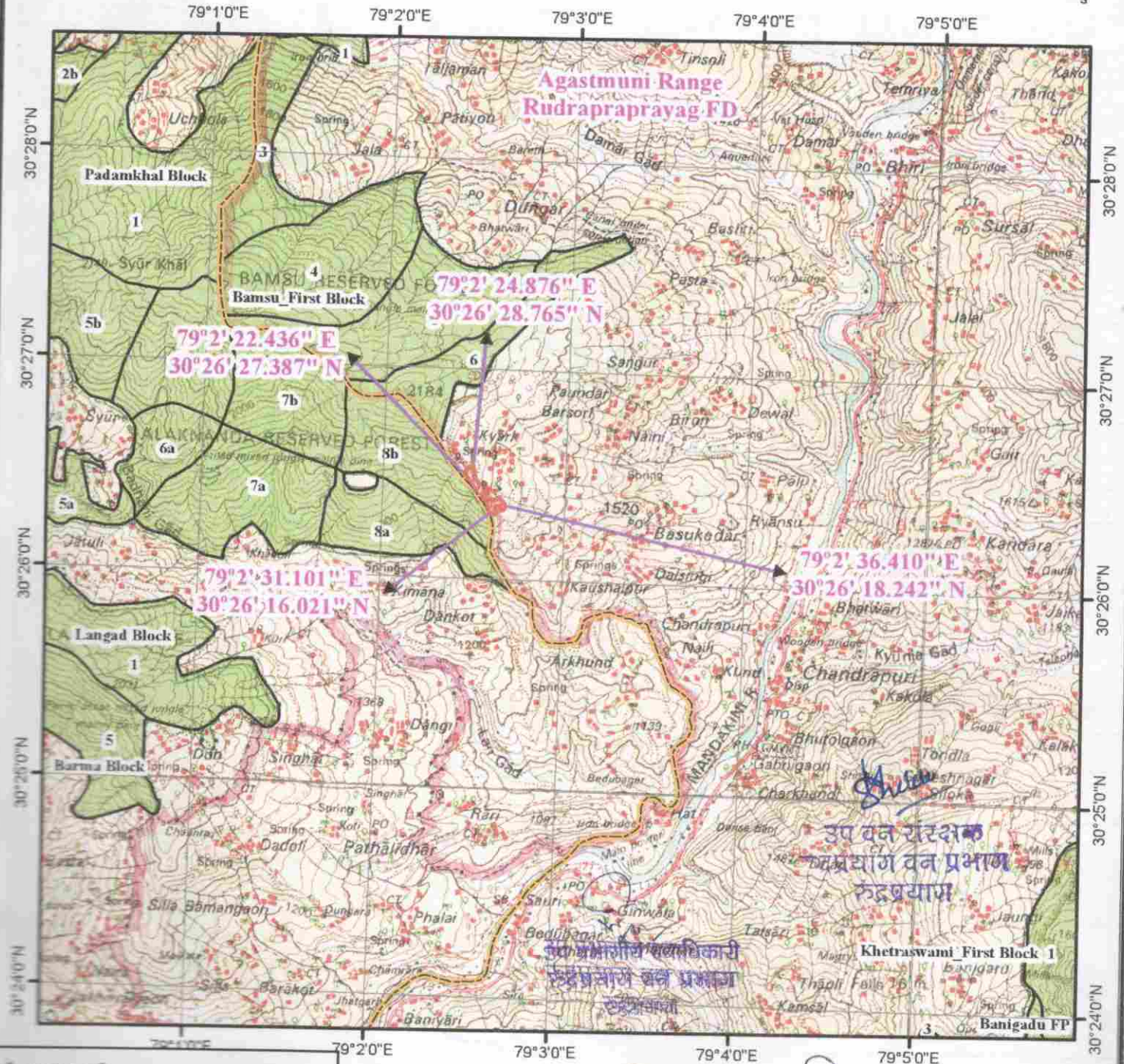
जनपद-रुद्रप्रयाग

75
डिजिटल मैप - राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में कर्पाक-बरसूड़ी-भैरों बैण्ड से जमेथी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कर्पाक बरसूड़ी सिविल सोयम क्षेत्र 2.690 है०

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/03



Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

Amr Pare
J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रा० उ० नि०
वडाई
रुद्रप्रयाग

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप निरीक्षक
जनपद-रुद्रप्रयाग

मुनिट अधिकारी
गुराकाशी युनिट
गुफाकाशी

रुद्रप्रयाग

रोड साइड वृक्षारोपण

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 2.00 किमी²

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी²) 100X 2.00 =200 पौध

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.0000	है०	115.000	230.000
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.0000	है०	3730.000	7460.000
3	ट्री गार्ड क्रय करना	200	संख्या	1500.000	300000.000
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	200	गड्ढा	7.950	1590.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	200	पौध	6.200	1240.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	2.0000	है०	915.000	1830.000

योग - प्रथम चरण

312350.000

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	200	पौध	1.42	284
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	200	पौध	1.80	360.00
3	ट्री गार्ड ढुलान करना	200	L.S.	200.000	40000.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	200	L.S.	155.000	31000.000
5	50 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि०मी०	200	पौध	9.00	450.00
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	200	पौध	2.77	554.00
7	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)	200	पौध	1.63	326.00
8	खाद व दवा पर व्यय	2.0000		1200.00	2400.00
9	प्रथम वर्ष में देख -रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	6870 प्रतिमाह			6870.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	2500 प्रतिमाह			2500.00

योग- द्वितीय चरण

84744.00

तृतीय चरण

1	वनीकरण चौकदार 12 माह	19.0000	है०	685.00	156180.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	19.0000	है०	1887.00	35853.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभाहित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरुकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	19.000		L.S	34200.00
	ब- प्रोत्साहन	19.000		L.S	19000.00
3	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	20	स० / पौध	8.00	160.00
	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण करना	20	स० / पौध	4.40	88.00
	पौधों का ढुलान कार्य करना	20	स० / पौध	9.00	180.00

गडदों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित		20	स0 / पौघ	1.95	39.00
शीतकाल में मलचिग सहित कार्य		20	स0 / पौघ	1.63	32.60
तृतीय चरण का योग					245732.60
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
चतुर्थ चरण का योग :-					17340.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
पंचम चरण का योग :-					17340.00
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
छठवें चरण का योग :-					17340.00
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
सातवें चरण का योग :-					17340.00
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
आठवें चरण का योग :-					17340.00
नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
नवें चरण का योग :-					17340.00
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.0000	है0	685.00	16440.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.0000	है0	450.00	900.00
दशवें चरण का योग :-					17340.00
5-कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय					
क्र०	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय			
1	प्रथम वर्ष	312350.00			
2	द्वितीय वर्ष	84744.00			
3	तृतीय वर्ष	245732.60			

4	चतुर्थ वर्ष	17340.00
5	पंचम वर्ष	17340.00
6	छठवें वर्ष	17340.00
7	सातवां वर्ष	17340.00
8	आठवां वर्ष	17340.00
9	नवम् वर्ष	17340.00
10	दशम वर्ष	17340.00
कुल योग		397094.00
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-क 972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु देय दर/ 417827.00 रु०/है०		2.000 KM 835654.00

88
यूनिट अधिकारी
नकाशी यूनिट
गुप्तवासी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

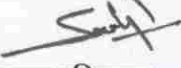
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है० वनभूमि भूमि के सापेक्ष 2.68 है० चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम क्यार्क-बरसूड़ी खसरा नम्बर 1362 रकवा 1.101 है०, 1416 म० रकवा 0.279 है०, 1571 रकवा 1.300 है० अर्थात् कुल रकवा 2.68 है० पर ग्राम वासियों का कब्जा / अतिक्रमण नहीं है।


राजरज उप निरीक्षक


तहसीलदार
बरसूड़ी
जनपद-रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
जनपद-रुद्रप्रयाग

एम.ओ.यू. / अन्डरटेकिंग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 1.340 हे० वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात् **2.68** है। सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे.)	खता खतोनी सं.	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	1362	1.101	1.101	41	उ०प्र० सरकार	झाड़ी
2	1416	0.624	0.279	41	उ०प्र० सरकार	झाड़ी
3	1571	1.300	1.300	41	उ०प्र० सरकार	झाड़ी
योग:-		3.025	2.68			



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग



उपजिलाधिकारी
जखोले
जनपद-रुद्रप्रयाग

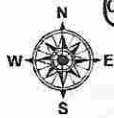


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जियोरेफेरन्स मैप:-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत क्यार्क बरसूडी भेरो बेंड से जामेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (कुल लम्बाई-2.00 कि०मी०)

1:6,000

0 0.04 0.08 0.16 0.24 0.32 km



79°2'20"E

79°2'25"E

79°2'30"E

79°2'35"E

79°2'40"E

79°2'45"E

79°2'50"E

Co-ordinates of Proposed Road

Id	Longitude	Latitude
1	79° 2' 48.16" E	30° 26' 20.4" N
2	79° 2' 47.73" E	30° 26' 18.05" N
3	79° 2' 47.37" E	30° 26' 16.98" N
4	79° 2' 44.86" E	30° 26' 16" N
5	79° 2' 43.23" E	30° 26' 14.67" N
6	79° 2' 41.4" E	30° 26' 11.72" N
7	79° 2' 38.66" E	30° 26' 10.88" N
8	79° 2' 36.12" E	30° 26' 11.88" N
9	79° 2' 33.03" E	30° 26' 11.71" N
10	79° 2' 30.42" E	30° 26' 13.07" N
11	79° 2' 33.64" E	30° 26' 12.92" N
12	79° 2' 36.51" E	30° 26' 14.19" N
13	79° 2' 38.03" E	30° 26' 15.74" N
14	79° 2' 39.26" E	30° 26' 18.06" N
15	79° 2' 36.69" E	30° 26' 16.34" N
16	79° 2' 34.04" E	30° 26' 15.98" N
17	79° 2' 37.01" E	30° 26' 18.99" N
18	79° 2' 36.45" E	30° 26' 22.95" N
19	79° 2' 37.61" E	30° 26' 25.04" N
20	79° 2' 35.38" E	30° 26' 28.42" N
21	79° 2' 34.29" E	30° 26' 30.9" N
22	79° 2' 35.39" E	30° 26' 32.74" N
23	79° 2' 34.97" E	30° 26' 34.74" N
24	79° 2' 36.72" E	30° 26' 37.09" N

Co-ordinates of Muck Disposal

Id	Longitude	Latitude
A	79° 2' 48.27" E	30° 26' 18.97" N
B	79° 2' 41.95" E	30° 26' 12.63" N
C	79° 2' 33.31" E	30° 26' 13.93" N
D	79° 2' 39.43" E	30° 26' 17.02" N
E	79° 2' 36.05" E	30° 26' 18.25" N

Barsudi

EndPoint

Kyaark

Start Point

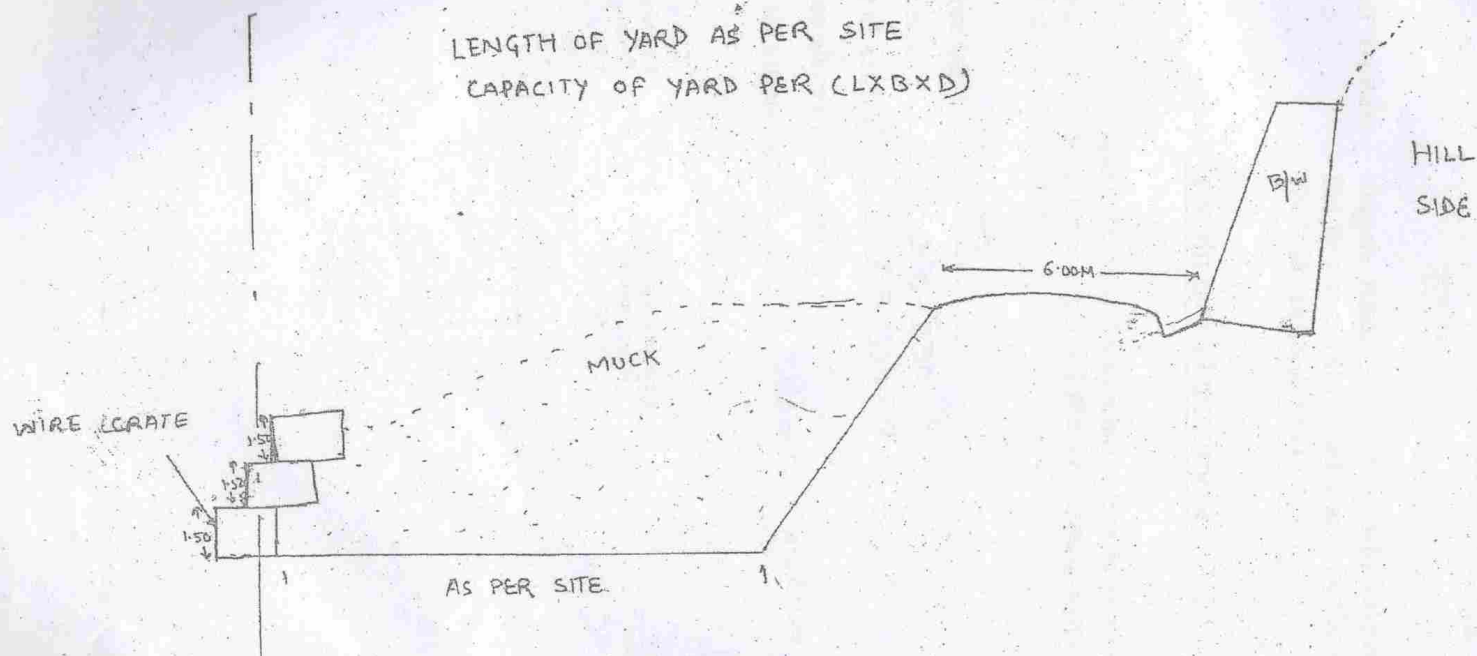
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० जि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्र
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट
गुप्तकाशी

Legend

	Muck disposal Sites		Alternate Road
	GPS Coordinates of Road		Proposed Road
	Existing Road		

कार्य का नाम :- मा.मु.पो. संख्या 553/20/5 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्क - बरसुई घेरो बेंड से जमेशी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य ।



[Signature]
J.F

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रसाग)

[Signature]
आधशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रसाग)

(1)

प्रस्ताव-4)
MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 घो0-संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसुड़ी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road Length			Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Van Panchayat Land	1300	m	4	m	3	m
Civil Van Land	100	m	4	m	3	m
Nap Land	600	m	3	m	2	m

Material Received from Hill side Cutting

for VanPanchayat & Civil Land	1/2 x 1400 x 4 x 3	=	8400.00 Cum	
for Nap Land	1 x 600 x 3 x 2	=	3600.00 Cum	
Total Muck			12000.00 Cum	----A
Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A)		=	16800.00 Cum	----B

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the muck				
Quantity of Boulders received from muck (40% of B)		=	6720.00 Cum	----C
Boulders used as (a) RR Stone Masonary (60% of C)		=	4032.00 Cum	
(b) HP Stone Filling (20% of C)		=	1344.00 Cum	
(c) Wirecrates and parapits (10% of C)		=	672.00 Cum	
(d) Granular Sub Base/Base (10% of C)		=	672.00 Cum	
Total Boulders Utilized			6720.00 Cum	

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of B-C)	4032.00 Cum	----D
Muck Left for Disposal (B-C-D)	6048.00 Cum	

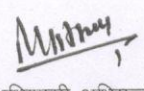
Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

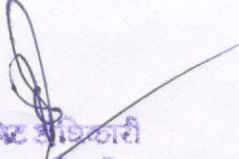
Sl. No.	Location	Size of Dumping Yard			Type of Land/ Name of owner	Area (ha.)	Capacity (cum)	Latitude/ Longitude
		L (m)	B (m)	H (m)				
1	Ch. 0.050	30	25	2	क्यार्क-बरसुड़ी सिविल वन	0.075	1500	79° 2' 48.27"E 30° 26' 18.97"N
2	Ch. 0.320	30	25	1.5	वन पंचायत	0.075	1125	79° 2' 41.95"E 30° 26' 12.63"N
3	Ch. 0.770	30	25	2	वन पंचायत	0.075	1500	79° 2' 33.31"E 30° 26' 13.93"N
4	Ch. 0.950	30	25	1.5	वन पंचायत	0.075	1125	79° 2' 39.43"E 30° 26' 17.02"N
5	Ch. 1.350	30	20	1.5	वन पंचायत	0.060	900	79° 2' 36.05"E 30° 26' 18.25"N
6	Ch. 1.580	28	11	2.2	नाप भूमि	0.031	677.60	79° 2' 37.62"E 30° 26' 25.05"N

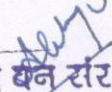
Area 0.360 Hac. In forest and 0.031 Hac. In Naap	
Total Capacity of Dumping Zones	= 6827.60 Cum
Total Muck need to be disposed	= 6048.00 Cum
Balance Debris	= NIL


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
गुप्तगरी युनिट
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

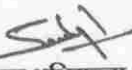

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 553/2015 के अंतर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में			इकाई	दर रू०	धनराशि रू०	
						ल०	चौ०	ऊँचाई / ग०				मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-1-3-B 1-2	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.1750	cum	286.20	50.09
2			आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S.					500.00
3	11-7	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.0500			
				1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.1080		
Total									0.1580	cum	8121.02	1283.12
4	5-22A.6	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124						0.1240	per qnt	9528.00	1181.76
5	13-1-2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.4400			
				1	X	1	0.30	0.30		0.0900		
Total									1.5300	sqm	209.10	319.92
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना		L.S.									1000.00
7	यानी की ढुलाई आदि		L.S.									700.00
Total :-												5034.89
एक सीमा पिल्लर पर व्यय रुपये – 5000.00 (पांच हजार, मात्र) या :-												5000.00

यूनिट अधिकारी
गणतन्त्र शास्त्री
गुप्तकाशी

उप प्रभागीय दनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

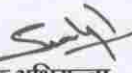
प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूडी-भेरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

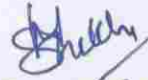

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
यूनिट अधिकारी
काशी यूनिट
जनकपुरी


उप प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
उप प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रशंगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये स्थलीय निरीक्षण के दौरान आरक्षित भूमि शून्य पायी गई, अतः आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग	
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90		90 से अधिक
	←					शून्य					→	

Qus

कनिष्ठ अभियन्ता

नि.घ. लो.नि.वि.
ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

San

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Mukherjee

अधिसासो अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

San
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

San
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रपत्र-42

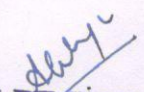
परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्यार्क-बरसूड़ी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	—	V th
2.	हरियाली का घनत्व	—	0.4 (40%)
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 (रुपये)	—	12,92,850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	—	1.34 है0
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	—	17,32,419.00


 उप वन संरक्षक
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

प्रपत्र

परियोजना का नाम:-

मा.मु.घो. संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

वनभूमि में कम से कम मलवा निस्तारण किये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र

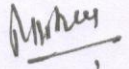
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा, व नाप भूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में अधिक से अधिक मलवे का निस्तारण किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ